

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी. एन. एस. एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
4288 सन् 2026

मोहम्मद मुज़म्मिल शुऐब अंसारीआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	मोसेस दास
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोसेस दास की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद अर्शन और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक मोहम्मद मुज़म्मिल शुऐब अंसारी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 21 सन् 2026, धारा 109(1), 190, 191(2), 191(3), 115(2), 352, 324(2), 61(2) बी.एन.एस., 2023, पुलिस स्टेशन - करेली, जिला - प्रयागराज के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार करने के प्रयास के बावजूद उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है। एफआईआर में पांच सह-अभियुक्तों , अर्थात् गोलू, अर्शु, तमीस, फैज बाला और अन्हा आरिफ को नामित किया गया है। विवेचना के दौरान जब घायल का बयान दर्ज किया गया, तो उसने आवेदक का नाम नहीं लिया। उसने आगे यह भी तर्क दिया कि कथित अपराध में आवेदक की कोई भूमिका नहीं है। एफआईआर में ही यह आरोप लगाया गया है कि सह-अभियुक्त अर्शु द्वारा घायल इम्तियाज को गोली मारकर घायल किया गया था। इम्तियाज को लगी चोट को छोड़कर, बाकी लोगों को मामूली चोटें आईं । इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त दानिश उर्फ मोहम्मद दानिश को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2026 को आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 3952 सन् 2026 में पारित आदेश के माध्यम से आवेदक को अग्रिम जमानत दी गई है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का जमानत आवेदन के अनुच्छेद 18 में विस्तृत विवरण दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि

आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वे तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करते हैं।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने समानता के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान करने का मामला सिद्ध कर दिया है।

6. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** की जाती है:-

(i) उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **मोहम्मद मुज़म्मिल शुऐब अंसारी** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार विवेचक को रिपोर्ट करेगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

7. किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग होने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचक/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए संबंधित न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

24 जून, 2026

कीर्ति

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)